भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भ.रि.बैंक/2024-25/79

एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18 4 अक्टूबर 2024

सेवा में

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदया,

भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी अनिवासी गारंटियों के संबंध में

समुचित सावधानी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें भारत में निवासी व्यक्तियों के पक्ष में भारत से बाहर निवासियों द्वारा ऐसी गारंटियाँ (जिनमें आपाती साख-पत्र [SBLCs] और निष्पादन गारंटियाँ शामिल हैं) जारी की गयी हैं जिनकी अनुमति वर्तमान फेमा विनियमावली में प्रदान नहीं की गयी है।

2. एडी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने निवासी घटकों को या उनकी ओर से सूचित की गयी गारंटी संविदाएं फेमा विनियमों के अनुसरण में हैं। इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने घटकों की जानकारी में लाएँ।

3. यह निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अधीन जारी किया गया है।

भवदीय

(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11 वी मंजलि, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई, – 400 001, भारत
Foreign Exchange Department, Central Office, 11th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai – 400 001, India
Tel: 91-22-2260 3000 Fax: 91-22-2262 1038 E-mail: fedcoecbd@rbi.org.in

चेतावनी : रिजर्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन-कॉल के जरिये किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिये।
Caution : RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, Passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.